कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा म0प्र0.

//विविध आदेश//

क्रमांक—**क्यू**/विविध/2021 विदिशा दिनांक 08.05.2021

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, विदिशा द्वारा जारी आदेश क्र0 क्यू—3/एस.डब्ल्यू./2021/4915, दिनांक 17.04.21 में आदेश को पुनरीक्षित आदेशों के माध्यम से दिनांक 07.05.21 तक के लिये संपूर्ण जिला विदिशा में प्रभावी किया गया था, में आदेश दिनांक 5782, दिनांक 06.05.21 के द्वारा दिनांक 17.05.21 के सुबह 06:00बजे तक बढ़ोत्तरी कर दी गई है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी एस0ओ0पी0 क्र0 ए/113 दिनांक 15.01.2021 की कंडिका क्र0—06 व 17 एवं एसओपी क्र0 ए/1149, दिनांक 03.04.21 में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुये, शासन के उक्त आदेश तथा पक्षकारों, साक्षियों की सुविधा तथा कोरोना संक्रमण को रोकने की दृष्टि से कार्यालय विविध आदेश क्र0क्यू/विविध/21, दिनांक 30.04.21 में निम्नानुसार संशोधन आदेश जारी किये जाते हैं:——

01. दिनांक 13.05.21 तक जिला न्यायालय विदिशा, कुटुम्ब न्यायालय विदिशा सहित समस्त तहसील मुख्यालय में नियमित सुनवाई निलंबित रहेगी।

02. उपरोक्त अवधि में अत्यावश्यक प्रकृति (जैसे—जमानत, रिमाण्ड एवं सुपुर्दगी आदि) के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग (वर्चुअल मोड) के माध्यम से सुनवाई की जावेगी।

03. समस्त न्यायिक अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त दिनांकों नियत समस्त प्रकार के **दाण्डिक प्रकरणों (यदि कोई सिविल प्रकरण हो तो वह भी) और माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से समय आबंधित/निर्देशित प्रकरणों (Time Limit & Others)** की सुनवाई हेतु आगामी तिथि अपने विवेकानुसार निर्धारित कर, उक्त संबंध में पृथक से कार्यवाही करेंगे।

04. उपरोक्त अवधि में पक्षकारगण का न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।

05. अधिवक्तागण वीडियो कांफ्रेसिंग/जिट्सी मीट एप्प के माध्यम से एवं न्यायालय परिसर में स्थापित व्ही0सी0 पांईट के माध्यम से उपस्थित हो सकेंगे तथा अत्यावश्यक मामलों के आवेदन पत्र ई—मेल dcourtvid-mp@nic.in के माध्यम से भेज सकेंगे।

06. किसी कारणवश वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई नहीं होने पर एक समय में एक ही अधिवक्ता मॉस्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करते हुये ही भौतिक रूप से सुनवाई हेतु न्यायालय कक्ष में प्रवेश करेंगे।

07. अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई से संबंधित जानकारी हेतु श्री राजेंद्र पाल बतरा, प्रशासनिक अधिकारी मोबाईल नंबर 94253—35553 एवं श्री राजीव चतुर्वेदी, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट मोबाईल नंबर 99778—23929 से संपर्क किया जा सकता है साथ ही जिला न्यायालय विदिशा की ई—मेल dcourtvid-mp@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।

08. प्रत्येक न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने—अपने न्यायालय में प्रकरणों की आगामी तिथि को नियत कर, न्यायालय के सूचना पटल पर जानकारी चस्पा करेंगे और साथ ही सीआईएस सॉफटवेयर पर

प्रकरणों की आगामी तिथि को आवश्यक रूप से अपलोड कराने हेतु न्यायालय के किसी भी एक रीडर (सिविल या क्रिमीनल) को निर्देश देवें।

09. न्यायालय में अत्यावश्यक ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले समस्त न्यायिक अधिकारी/कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण मॉस्क, सैनेटाईजर एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे।

10. समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्यालय में पर उपस्थित रहेंगे और अपने–अपने मोबाईल चालू रखेंगे और सूचित किये जाने पर तत्काल आदेशानुसार उपस्थित होंगे। किसी भी न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी का मोबाईल बंद होना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

11. कोई न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोडेंगे और अनुमति उपरांत मुख्यालय से बाहर जाने वाले न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने मुख्यालय पर उपस्थिति के उपरांत पूर्व में जारी विविध आदेश क्र0 क्यू/एस डब्ल्यू/21, दिनांक 06.04.21 के भाग–दो के पैरा क्र0–3 के अनुसार RT-PCR Test एवं सात दिवस के होम क्वारांईटाईन अवधि के उपरांत उपस्थित होंगे।

12. किसी भी न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी के स्वयं या परिवारजन की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने की दशा में पूर्व में जारी विविध आदेश क्रमांक 1182, दिनांक 09.04.21 के पालन में इस स्थापना हेतु नियुक्त Covid Protocol Officer's मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विदिशा श्री संदीप कुमार जैन मोबाईल नंबर 94250–82298 एवं जिला रजिस्ट्रार डॉ0रविकांत सोलंकी को जांच रिपोर्ट एवं आवेदन पत्र सहित तत्काल सूचित करेंगे।

13. समस्त न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय उच्च न्यायालय, केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्रों/विविध आदेशों और गाईड लाईनों का कड़ाई से पालन करेंगे।

14. समस्त सिस्टम असिस्टेंट और आई0टी0असिस्टेंट जिला न्यायालय एवं तहसील मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिदिन जिला न्यायालय की ई–मेल dcourtvid-mp@nic.in पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों वाले आवेदन सहित माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य महत्वपूर्ण सहित समस्त मेल आदि का प्रिंट निकालकर संबंधित न्यायालय को सूचित करेंगे।

15. समस्त प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि/अभिलेखागार अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे अत्यंत आवश्यक प्रकृति के प्रतिलिपि/अभिलेखागार आवेदन मांग पत्र के निराकरण हेतु प्रतिलिपि/अभिलेखागार अनुभाग के संबंधित कर्मचारी को निर्देशित कर, आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

16. समस्त प्रभारी अधिकारी तलवाना/केंद्रीय पंजीकरण अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अवधि में आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों और समयावधि में प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों के सीआईएस सॉफटवेयर में दर्ज करने हेतु, संबंधित कर्मचारी की ड्यूटी लगावें।

17. पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जावे कि संबंधित केस डायरी स्कैन कर न्यायालय को ई–मेल आईडी पर रिमाण्ड अवधि के पूर्व निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से भेजा जाना सुनिश्चित करें। यदि किन्हीं कारणों से केस डायरी मेल आई डी पर प्राप्त नहीं हो सके तो संबंधित न्यायालय के रीडर/प्रस्तुतकार

दस्ताने (ग्लब्स) पहनकर ही उपरोक्त केस डायरी प्राप्त करेंगे और संबंधित न्यायिक अधिकारी भी दस्ताने (ग्लब्स) पहनकर ही केस डायरी का अवलोकन व कार्य करेंगे।

18. उपरोक्त दिवसों में नियमित न्यायिक कार्यवाहियों के निलंबित रहने की दशा में अत्यावश्यक प्रकृति (जैसे–जमानत, रिमाण्ड एवं सुपुर्दगी आदि) के प्रकरणों की सुनवाई हेतु निम्नानुसार सारणी में वर्णित अपर सत्र न्यायाधीश को सुबह 11:00बजे से 02:00बजे तक एवं जेएमएफसी दोपहर 02:00बजे से शाम 05:00 बजे तक उनके स्टॉफ सहित ड्यूटी लगाई जाती है।

1. जिला न्यायालय विदिशाः—

कं.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	10 मई 21	श्री आत्माराम टांक, IASJ	श्री रविकांत सोलंकी, जेएमएफसी
2	11 मई 21	श्रीमती प्रतिष्ठा अवस्थी, IIASJ	श्री रविकांत सोलंकी, जेएमएफसी
3	12 मई 21	श्री आत्माराम टांक, IASJ	सुश्री अनुप्रिया पाराशर जेएमएफसी
4	13 मई 21	श्रीमती प्रतिष्ठा अवस्थी, IIASJ	सुश्री अनुप्रिया पाराशर, जेएमएफसी
5	14 मई 21	--	सुश्री अनुप्रिया पाराशर, जेएमएफसी
6	15 मई 21	--	सुश्री अनुप्रिया पाराशर, जेएमएफसी
7	16 मई 21	--	सुश्री अनुप्रिया पाराशर, जेएमएफसी

2. तहसील मुख्यालय गंजबासौदा :—

कं.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	10 मई 21	श्री सतीशचंद्र मालवीय, III ASJ	श्री राकेश शर्मा, जेएमएफसी
2	11 मई 21	श्री सतीशचंद्र मालवीय, III ASJ	श्री राकेश शर्मा, जेएमएफसी
3	12 मई 21	श्री सतीशचंद्र मालवीय, IASJ	श्री राकेश शर्मा, जेएमएफसी
4	13 मई 21	श्री सतीशचंद्र मालवीय, III ASJ	श्री राकेश शर्मा, जेएमएफसी
5	14 मई 21	--	श्रीमती सपना शर्मा, जेएमएफसी
6	15 मई 21	--	श्रीमती सपना शर्मा, जेएमएफसी
7	16 मई 21	--	श्रीमती सपना शर्मा, जेएमएफसी

3. तहसील मुख्यालय सिरोंज :—

कं.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	10 मई 21	श्री अमजद अली, IIASJ	श्री हेमंत सिंह, जेएमएफसी
2	11 मई 21	श्री अमजद अली, IIASJ	श्री हेमंत सिंह, जेएमएफसी
3	12 मई 21	श्री अमजद अली, IIASJ	श्री हेमंत सिंह, जेएमएफसी
4	13 मई 21	श्री अमजद अली,IIASJ	श्री हेमंत सिंह, जेएमएफसी
5	14 मई 21	--	श्री हेमंत सिंह, जेएमएफसी
6	15 मई 21	--	श्री हेमंत सिंह, जेएमएफसी
7	16 मई 21	--	श्री हेमंत सिंह, जेएमएफसी

4. तहसील मुख्यालय कुरवाई :—

क्रं.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	10—मई—21 से 17 मई 21	——	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी

5. तहसील मुख्यालय लटेरी :—

क्रं.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	10—मई—21 से 13 मई 21	——	श्री हेमंत सिंह, जेएमएफसी सिरोंज
2	14—मई—21 से 16 मई 21	——	श्री देवेंद्र सोलंकी, जेएमएफसी

श्री विवेक सिंह रघुवंशी, ।एएसजे, लटेरी का कोविड—19 पॉजिटिव होने से कार्य विभाजन पत्रक अनुसार समस्त प्रकार का अत्यावश्यक प्रकृति (जैसे—जमानत, रिमाण्ड एवं सुपुर्दगी आदि) का कार्य उपस्थित प्रभारी पीठासीन अधिकारियों द्वारा संपादित किया जावेगा।

नोटः— उपरोक्तानुसार न्यायिक अधिकारियों में से किसी भी न्यायिक अधिकारी के आपात स्थिति में अवकाश/होम आईसोलेट होने पर कार्य विभाजन पत्रक अनुसार समस्त प्रकार का अत्यावश्यक प्रकृति (जैसे—जमानत, रिमाण्ड एवं सुपुर्दगी आदि) का कार्य प्रभारी पीठासीन अधिकारी संपादित करेंगे।

8.5.21

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा

पृष्ठां0क्रं0— 693 /विविध/2021 विदिशा, दिनांक 08.05.2021

प्रतिलिपि—

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ.
02. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
03. समस्त न्यायिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग एवं समस्त न्यायिक कर्मचारीगण—विदिशा/गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई एवं लटेरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विदिशा,
05. पुलिस अधीक्षक, विदिशा
06. जेल अधीक्षक जिला जेल एवं उपजेल गंजबासौदा/लटेरी
07. कार्यालय जनसंपर्क अधिकारी विदिशा
08. अध्यक्ष अभिभाषक संघ विदिशा/गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई एवं लटेरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
09. प्रिंट मीडिया/न्यूज मीडिया प्रभारी विदिशा की ओर प्रसारणार्थ,
10. जेएसए/एसए को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश जिला न्यायालय विदिशा की वेबसाइट पर अपलोड करें।

8.5.21

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा